अध्याय -III
राज्य आबकारी

अध्याय- III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बन्धित करों के उद्ग्रहण / संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 में राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 12 इकाइयों में से नौ इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹23.17 करोड़ से निहित 73 मामलों में आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की गैर/अल्प वसूली उद्घाटित हुई जो निम्नवत् **तालिका 3.1** के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क की गैर/अल्प वसूली	04	0.27
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की गैर/अल्प वसूली	36	15.69
3.	अन्य अनियमितताएं	33	7.21
योग		**73**	**23.17**

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने 58 मामलों में ₹18.66 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 54 मामलों में ₹3.76 करोड़ की राशि वसूल की गई उसमें 32 मामलों में ₹1.95 करोड़ विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से तथा 22 मामलों में ₹1.81 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹16.68 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ आवश्यक मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 बिक्री केन्द्रों को न खोलने पर लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली

उनतीस (29) लाइसेंसधारियों से ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.3 के प्रावधानानुसार, नियत किये गए शराब के न्यूनतम गांरटीड कोटे पर आधारित एक लाइसेंसधारी को वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान करना अपेक्षित

[1] दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)।

हैं। परिच्छेद 4.4 (ए) में प्रावधान है कि पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए नियत शराब के न्यूनतम गांरटीड़ कोटे पर आधारित एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित दरों पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक मास के अन्तिम दिन तक लाइसेंस फीस को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा एवं शराब निर्गम हेतु आबकारी पास प्राप्त करने से पूर्व मार्च मास की अंतिम किस्त की पूर्ण रूप से 15 मार्च तक अदायगी की जाएगी। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5(ए) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस को जमा करने में विफल रहता है तो निर्धारित दरों पर ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा। परिच्छेद 4.5(सी)के अनुसार, जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी साधारणत: अनुवर्ती मास के पहले दिन या 16 मार्च जैसा भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा।

सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[2] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 के लिए 29 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹42.91 करोड़ की वसूली योग्य लाइसेंस फीस के प्रति विभाग मात्र ₹34.32 करोड़ की राशि की ही वसूली कर सका जिसके परिणामवरूप ₹8.59 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली हुई। लाइसेंस फीस की अदा न की गई राशि पर ₹1.03 करोड़ का ब्याज भी प्रोद्भूत था जो उद्ग्रहण योग्य था ।

विभाग ने सितम्बर 2016 में बताया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा 12 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹1.75 करोड़[3] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला अगस्त 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.4 न्यूनतम गारंटीड कोटा से कम कोटा उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

चार सौ इक्यावन (451) बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 20,16,928 प्रूफ लीटर शराब को कम उठाने के लिए अतिरिक्त फीस ₹5.34 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किया गया मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटा देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के लिए उठाना अपेक्षित होगा ऐसा न करने पर वह न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने का उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड़ कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के

[2] बद्दी: एक बिक्री केन्द्र: ₹6.55 लाख, कुल्लू: दो बिक्री केन्द्र: ₹43.14 लाख, मण्डी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹31.88 लाख, नाहन: दो बिक्री केन्द्र: ₹0.53 करोड़, शिमला: 10 बिक्री केन्द्र: ₹0.83 करोड़, सोलन: तीन बिक्री केन्द्र: ₹1.66 करोड़ तथा ऊना: आठ बिक्री केन्द्र : ₹4.75 करोड़ ।

[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त -कुल्लू:दो बिक्री केन्द्र: ₹4.00 लाख, नाहन:दो बिक्री केन्द्र: ₹35.81 लाख, शिमला: तीन बिक्री केन्द्र: ₹11.96 लाख, सोलन: चार बिक्री केन्द्र: ₹0.83 करोड़ तथा ऊना: एक बिक्री केन्द्र: ₹40.00 लाख ।

भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 100 *प्रतिशत* से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड़ कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा ने सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 451 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने 1,09,25,254 प्रूफ लीटर के मासिक न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के प्रति 89,08,339 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो कि 2014-15 के दौरान 20,16,923 प्रूफ लीटर[5] (देशी शराब:12,95,242 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 7,21,681 प्रूफ लीटर) कम थी, जिसके लिए ₹5.34 करोड़ की अतिरिक्त फीस यद्यपि देय थी, किन्तु सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 451 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों में से 140 लाइसेंसधारियों ने 5,58,734.162 प्रूफ लीटर शराब नहीं उठाई जोकि न्यूनतम गारंटीड़ कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंच-मार्क से भी कम थी जिसके लिए निर्धारित दरों पर ₹0.54 करोड़ की शास्ति उद्गृहित की जानी अपेक्षित थी परन्तु उसको संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा उद्गृहित/मांगा नहीं गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिलों के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने तिमाही आधार पर प्रत्येक बिक्री केन्द्र द्वारा उठाए गए न्यूनतम गारंटीड़ कोटे की स्थिति की समीक्षा नहीं की, परिणामस्वरूप ₹5.34 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.54 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर विभाग ने सितम्बर 2016 में सूचित किया कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा 20 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से ₹5.34 करोड़ में से ₹3.78 लाख[6] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

---

[4] बद्दी: 26 बिक्री केन्द्र: ₹49.16 लाख, चम्बा: 72 बिक्री केन्द्र: ₹0.66 करोड़, मण्डी: 123 बिक्री केन्द्र: ₹0.55 करोड़, नाहन: 26 बिक्री केन्द्र: ₹49.98 लाख, शिमला: 86 बिक्री केन्द्र: ₹0.68 करोड़, सोलन: 53 बिक्री केन्द्र: ₹1.39 करोड़ तथा ऊना: 65 बिक्री केन्द्र: ₹1.59 करोड़। (शास्ति सहित)

[5]

शराब की प्रकृति	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल शराब
मासिक नियत एम0जी0क्यू	58,42,982	50,82,270	1,09,25,252
उठाया गया एम0जी0क्यू	45,47,740	43,60,589	89,08,329
कम उठाया गया एम0जी0क्यू	12,95,242	7,21,681	20,16,923

[6] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.15 लाख, चम्बा: 15 बिक्री केन्द्र: ₹2.60 लाख, सिरमौर: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.24 लाख, सोलन: दो बिक्री केन्द्र: ₹0.66 लाख तथा ऊना: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.13 लाख।

3.5 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹99.61 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से नही मांगा गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज का अल्प उद्ग्रहण हुआ ।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 4.4 (डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गांरटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। परिच्छेद 4.5 (ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

जुलाई 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[7] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹76.39 करोड़ की राशि को अप्रैल 2014 तथा नवम्बर 2015 के मध्य दो से 406 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अतः वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹99.61 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उसकी मांग नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹99.61 लाख[8] ब्याज की राशि की अवसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2016) सूचित किया कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा ₹99.61 लाख में से ₹31.38 लाख[9] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ब्याज की शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.6 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 252 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणा 2014-15 का परिच्छेद 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष जो कि 2013-14 है, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 *प्रतिशत* तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2014-15 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा ।

---

[7] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन ।

[8] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹11.20 लाख, कुल्लू: 23 बिक्री केन्द्र: ₹3.91 लाख, मण्डी: 16 बिक्री केन्द्र: ₹19.18 लाख, नाहन: 29 बिक्री केन्द्र: ₹21.57 लाख, शिमला: 23 बिक्री केन्द्र: ₹17.24 लाख तथा सोलन: 15 बिक्री केन्द्र: ₹26.51 लाख ।

[9] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: ₹11.20 लाख, कुल्लू: ₹3.91 लाख, मण्डी: ₹0.12 लाख, सिरमौर: ₹1.95 लाख, शिमला: ₹13.75 लाख तथा सोलन: ₹0.45 लाख ।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि पिछले वर्ष 2013-14 के 43,916.07 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराब:11,836.99 तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 32,079.08 प्रूफ लीटर) के बिक्री न हुए स्टॉक को 252 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधरियों की गणना में नही लिया गया था। लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 *प्रतिशत* की दर से ₹43.83 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान इस बिक्री न हुए स्टॉक के लिए देय था। लाइसेंस फीस की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹43.83 लाख[11] की लाइसेंस फीस की गैर-वसूली हुई ।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा ₹43.83 लाख में से ₹9.61 लाख[12] की राशि चार लाइसेंसधारियों से वसूल कर ली गई थी तथा शेष रशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.7 मद्यनिर्माणशाला/बॉटलिंग संयंत्र में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन की अवसूली/अल्प-वसूली

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन के रूप में ₹34.77 लाख की राशि लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी शराब की भट्टी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा जिसके लिए लाइसेंसधारी को स्टाफ को वेतन देना होगा।

एक मद्यनिर्माणशाला, एक शराब की भट्टी तथा दो बोतलीकरण संयत्रों सहित तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की भट्टियों/मद्यनिर्माणशालाओं/बोतलीकरण संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना स्टॉफ की वर्ष 2014-15 के लिए वेतन की ₹36.62 लाख की राशि की अदायगी करना अपेक्षित था जिसमें से उन्होंने यद्यपि केवल ₹1.85 लाख की अदायगी की, इसके बावजूद कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने इन मांगों को उठाने तथा देयताओं का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार सरकार को ₹34.77 लाख[13] से वंचित रखा।

---

[10] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त -बद्दी, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना ।

[11] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: 39 बिक्री केन्द्र: ₹7.30 लाख, मण्डी: 56 बिक्री केन्द्र: ₹6.07 लाख, नाहन: 41 बिक्री केन्द्र: ₹6.64 लाख, सोलन: 43 बिक्री केन्द्र: ₹11.26 लाख तथा ऊना: 73 बिक्री केन्द्र: ₹12.56 लाख।

[12] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: एक लाइसेंसी: ₹6.30 लाख, नाहन स्थित सिरमौर: एक लाइसेंसी: ₹0.23 लाख, सोलन: एक लाइसेंसी: ₹1.57 लाख तथा ऊना: एक लाइसेंसी: ₹1.51 लाख।

[13] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: ₹8.47 लाख , नाहन: ₹5.11 लाख तथा ₹6.86 लाख एवं ऊना: ₹14.33 लाख।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016)। सूचित किया कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चार लाइसेंसधारियों से ₹34.77 लाख में से ₹26.98 लाख[14] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

3.8 देशी शराब के बोतलीकरण पर लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली

दो लाइसेंसधरियों से ₹28.75 लाख लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क की अल्प वसूली की गई। परिणामस्वरूप उस सीमा तक के राजस्व की हानि हुई । लाइसेंस फीस/फ्रैंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर ₹5.39 लाख का ब्याज भी वसूली योग्य था।

आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 5.1 (29) (iii) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में प्रावधान है कि देशी शराब की 750 मिली लीटर की इकाईयों पर ₹0.80 प्रति इकाई की दर से लाइसेंस फीस लगाई जाएगी यदि देशी शराब को शराब की भट्टी लाइसेंसधारियों द्वारा बोतलीकरण किया गया है। पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.5 (8) में आगे प्रावधान हैं कि यदि लाइसेंसधारी फीस अथवा असके किसी भाग को देय तिथि तक अदा करने में विफल रहता है तो देशी शराब/फ्रैंचाइजी फीस (भारत में निर्मित विदेशी शराब पर) पर एक मास तक 12 *प्रतिशत* वार्षिक दर से तथा यदि अदायगी में चूक एक मास से अधिक हो तो सम्पूर्ण विलम्ब के लिए 18 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से ब्याज देय होगा जब तक चूक जारी रहती है। आबकारी घोषणा 2014-15 के परिच्छेद 5.2(1) में प्रावधान है कि देशी शराब पर आबकारी शुल्क ₹10 प्रति प्रूफ लीटर की दर से उद्ग्राहय होगा। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया:

(क) लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[15] के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दो शराब की भट्टियों जो देशी शराब के निर्माण में लगी हुई थी, की भुगतान पंजिकाओं की नमूना जांच की तथा पाया कि 2014-15 की अवधि के लिए देशी शराब की 750 मिली लीटर की 25,17,688 इकाईयों के बोतलीकरण के लिए कुल ₹20.14 लाख की लाइसेंस फीस को न तो शराब की भट्टी लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था न ही सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तो द्वारा मांगी गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे आगे पाया कि एक लाइसेंसी[16] ने 38,99,418.107 प्रूफ लीटर देशी शराब की बिक्री पर ₹3.90 करोड़ के विरूद्ध ₹3.81 करोड़ के ही आबकारी शुल्क का भुगतान किया था, परिणामस्वरूप ₹8.61 लाख के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹28.75 लाख (₹20.14 लाख + ₹8.61 लाख) की अवसूली हुई।

(ख) लेखापरीक्षा ने सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की भुगतान पंजिकाओं की नमूना-जांच की तथा पाया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तो[17] में चार लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए ₹1.11 करोड़ की लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी फीस 07 जनवरी 2014 तथा 07 अप्रैल 2015 के मध्य भुगतान योग्य थी जिसको 24 मार्च 2014 तथा 02 दिसम्बर 2015 के मध्य विलम्ब से जमा किया गया था। विलम्ब तीन तथा 340 दिनों का था जिस पर ₹5.39 लाख[18] का ब्याज उद्ग्राहय था लेकिन विभाग द्वारा उद्ग्रहण/वसूल नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि दो सहायक आबकारी एवं

[14] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक बिक्री केन्द्र: ₹2.80 लाख, नाहन दो बिक्री केन्द्र: ₹9.86 लाख एवं ऊना: ₹14.32 लाख।

[15] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹18.30 लाख तथा ऊना: एक लाइसेंसी: ₹1.84 लाख।

[16] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना: एक लाइसेंसी: ₹8.61 लाख।

[17] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर तथा नाहन।

[18] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹2.16 लाख तथा नाहन: तीन लाइसेंसी: ₹3.23 लाख।

कराधान आयुक्तों द्वारा ₹34.14 लाख में से ₹10.89 लाख[19] की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

3.9 एल-13 बिक्री केन्द्र को न खोलने के लिए निर्धारित फीस की अवसूली

विभाग ने दो लाइसेंसधारियों से उनको आबंटित ज़िलों में तीन बिक्री केन्द्रों को न खोलने पर ₹6.90 लाख की निर्धारित फीस को वसूल नहीं किया था।

आबकारी घोषणा वर्ष 2014-15 के परिच्छेद 6.10 में प्रावधान है कि देशी शराब के पूर्तिकारों को प्रति बिक्री केन्द्र ₹2.30 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर उन्हें आबंटित किये गए प्रत्येक ज़िला में एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। आगे यह भी प्रावधान है कि उन देशी शराब के पूर्तिकारों को जिन्होंने वर्ष 2013-14 के दौरान एल-13 बिक्री केन्द्र उन ज़िलों में खोले थे जो कि उनको वर्ष 2013-14 के दौरान आबंटित नहीं किये गए थे, उन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान इन एल-13 बिक्री केन्द्रों को उन संबंधित ज़िलों में भी अनिवार्यता खोलना ही होगा जिन्हें बाद में वर्ष 2014-15 के लिए 'आबंटित' ज़िले बना दिया गया हो।

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी एवं नाहन कार्यालय के एल-13 बिक्री केन्द्र के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा पाया कि नाहन के एक देशी शराब पूर्तिकार ने वर्ष 2014-15 के लिए उसे आबंटित पांच ज़िलों में से दो ज़िलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। मण्डी के एक अन्य लाइसेंसधारी ने जिसने बरमोह (ऊना ज़िला) में एल-13 बिक्री केन्द्र खोला था जो कि वर्ष 2013-14 के लिए उसे आबंटित नहीं था अत: इस प्रकार वर्ष 2014-15 के लिए उसे एल-13 बिक्री केन्द्र अनिवार्य रूप से खोलना था परन्तु उसको खोलने में वह असफल रहा। इस प्रकार तीन बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण इन दो लाइसेंसधारियों से ₹6.90 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹6.90 लाख की निर्धारित फीस की गैर-वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन ने (फरवरी 2016) सूचित किया कि संबंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को लाइसेंसधारियों से राशि को वसूल करने हेतु नोटिस जारी कर दिए गए थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी ने बताया कि संबंधित लाइसेंसधारियों से नियत फीस को वसूल करने हेतु प्रयास किये जाएंगे।

सरकार को मामला जनवरी तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

[19] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: एक लाइसेंसी: ₹7.66 लाख तथा नाहन: तीन लाइसेंसी: ₹3.23 लाख ।

3.10 मनोरंजन शुल्क की अवसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क उदग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कम-स ₹0.55 करोड़ के राजस्व का परित्याग हुआ ।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार केबल ऑपरेटरो का आवश्यक पंजीकरण उस क्षेत्र के मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल के नाम से जानी जाने वाले प्राधिकरण के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित केबल ऑपरेटर आता है, करवाना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम,1968 की धारा 3 के प्रावधानानुसार मनोरंजन कर का ऐसी दरों पर उद्ग्रहण किया जाएगा जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा यह शुल्क मालिक द्वारा संग्रहित किया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से सरकार को देना होगा। 'केबल टेलिविजन' तथा 'टेलिविजन प्रर्दशनी' को हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधित) अधिनियम,1999 के अंतर्गत जैसाकि उसमें परिभाषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम की परिधि में लाया गया। 'टेलिविजन प्रर्दशनी' किसी प्रकार के ऐनटिना की मदद सहित एक प्रर्दशनी है जिसके साथ केबल नेटवर्क जुड़ा होता है।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[20] के अभिलेखों तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारियों से प्राप्त की गई सूचना की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि इन तीन जिलों में 83 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे। तथापि, कोई भी केबल ऑपरेटर अपने ग्राहकों को प्रदान की गई मनोरंजन सेवाओं पर किसी प्रकार के मनोरंजन शुल्क की राशि का भुगतान नहीं कर रहा था जबकि वह मनोरंजन की आपूर्ति के लिए अपने उपभोक्ताओं से फीस प्रभारित कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा नियम के निर्धारण के लिए अथवा उद्ग्राहय की जाने वाले शुल्क की दरों अथवा उनसे कोई मनोरंजन शुल्क उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने मई 2012 की अधिसूचना के माध्यम से आदेश किये थे कि सभी प्रकार के मनोरंजनों पर शुल्क वर्तमान में तत्काल प्रभाव से प्रविष्टि के दौरान किये गए भुगतान के 10 *प्रतिशत* की दर से प्रभारित किया जाएगा। केबल ऑपरेटरों द्वारा उनके ग्राहकों से प्रभारित दरों पर किया गया 10 *प्रतिशत* उद्ग्रहण केबल ऑपरेटरों से ₹55.41 लाख के राजस्व के प्रोतभूत का कारण होगा जैसाकि **तालिका 2.3** में विवरण दिया गया है:

[20] सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- चम्बा, नाहन तथा सोलन।

तालिका: 2.3: केबल ऑपरेटरों का विवरण जिनसे मनोरंजन शुल्क वसूल नहीं किया गया था

जिले का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	मुख्य पोस्ट मास्टर के पास पंजीकृज केबल ऑपरेटर	केबल कनैक्शनों की संख्या	प्रति कनैक्शन दर (₹)	देय-योग्य मनोरंजन शुल्क की अवधि	महीनों की संख्या	केवल कनैक्शनों से राशि की वसूली (कॉलम 4×5×7) **(₹लाख में)**	10 *प्रतिशत* की दर पर मनोरंजन शुल्क **(₹लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
चम्बा	26	2	430	200	मई 2012 से मार्च 2015	35	30.10	3.01
		1	40	150		35	2.10	0.21
नाहन (सिरमौर)	28	4	6,350	200	मई 2012 से मार्च 2015	35	444.50	44.45
सोलन	29	10	1,814	200	फरवरी 2014 से फरवरी 2016	11 से 25	77.40	7.74
योग	**83**	**17**	**8,634**				**554.10**	**55.41**

विभाग ने (अक्तूबर 2016) सूचित किया कि 17 केबल ऑपरेटरों को तीन सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्तों द्वारा मनोरंजन कर की राशि जमा करने हेतु सूचनाएं जारी कर दी गई थी तथा क्षेत्र के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को इसे वसूलने हेतु भी निर्देश दिये गए थे।

सरकार को मामला मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।